

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11565/2025

Husain Mohammed @ Hajjani S/o Naseer Mohammed, Aged About 40 Years, R/o Fakiron Ka Mohalla Chhawani Ranchandrapura At Present Behind Police Chowki Kotdi Police Thana Gumanpura Kota. (At Present Confined At Central Jail Kota).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Abdul Rahim Khan
For Respondent(s)	: Mr. Amit Gupta, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

12/11/2025

प्रार्थी/अभियुक्त **हुसैन मोहम्मद उर्फ हज्जानी** की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक—**21.08.2025** के विरुद्ध यह जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसे पुलिस थाना **गुमानपुरा, कोटा शहर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **251/2025**, अपराध अन्तर्गत धारा **189(4), 110, 115(2), 118(1), 126(2), 190, 191(3)** भारतीय न्याय संहिता एवं धारा **4/25** आयुध अधिनियम में नियमित जमानत प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी को मामले में झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। प्रार्थी दिनांक 31.05.2025 से अभिरक्षा में है। इस प्रकरण में मजरूब मोईन एवं शाहरुख रहे हैं, इन दोनों मजरूबान के कोई भी प्राणघातक चोट नहीं पाई गई है। प्रकरण के सह-अभियुक्त आरिफ हुसैन का नियमित जमानत आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है तथा प्रकरण के अन्य सह-अभियुक्तगण अरशद खान, मोइनुद्दीन उर्फ मोईन

एवं तारिक हुसैन उर्फ आसू का नियमित जमानत आवेदन समक्ष बैंच द्वारा पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है, प्रार्थी का मामला अन्य सह-अभियुक्तगण से भिन्न नहीं है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तथा प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों व वितर्कों पर मनन किया। प्रार्थी दिनांक-31.05.2025 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के सह-अभियुक्तगण आरिफ हुसैन, अरशद खान, मोइनुद्दीन उर्फ मोईन एवं तारिक हुसैन उर्फ आसू के नियमित जमानत आवेदन पूर्व में ही स्वीकार किए जा चुके हैं प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः अन्य सह-अभियुक्तगण के उक्त जमानत आवेदनों, प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, अनुसंधान के दौरान आयी साक्ष्य, प्रार्थी की अभिरक्षा अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय व अन्य समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/-रुपए (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000-25,000/-रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा तो प्रार्थी/अभियुक्त **हुसैन मोहम्मद उर्फ हज्जानी पुत्र श्री नसीर मोहम्मद** को (यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हों तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J